



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ-226006

पत्र सं०-टीएस-सीसीटीएनएस-87/2014(11)
सेवा में,

दिनांक: लखनऊ: अक्टूबर 17, 2017

अपर पुलिस महानिदेशक,
मेरठ जोन, मेरठ।

सीएम डैश बोर्ड पर प्रदर्शित हो रही सूचनाओं की हर स्तर पर समीक्षा हो रही है। ज्ञातव्य हो कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या टीएस-सीसीटीएनएस-55/2011(11) दिनांक: 26-09-2017 के द्वारा सभी जोन, परिक्षेत्र एवं जनपद स्तर से लेकर बीट स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों का वार्षिक मन्तव्य सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे ऑकड़ों के आधार पर किया जायेगा। इसी क्रम में सीएम डैश बोर्ड पर मेरठ जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के थानों की गिरफ्तारी के संदर्भ में समीक्षा की गयी तो निम्नवत स्थिति पायी गयी।

(क) जनपद हापुड़ में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में थाना-हाफिजपुर, धौलाना का प्रदर्शन खराब रहा है।

गैंगस्टर ऐक्ट में थाना बहादुरगढ़ को छोड़कर किसी अन्य थानों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(ख) जनपदीय पुलिस प्रभारी से अपेक्षा की जाती है कि जिन थानों में फीडिंग नहीं हो पा रही है उन कर्मचारियों की ट्रेनिंग उन थानों के कर्मचारियों से करा दी जाए जहाँ का प्रदर्शन अच्छा हो।

(ग) जनपद बुलन्दशहर में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

गैंगस्टर ऐक्ट में थाना नरसैना में कोई कार्यवाही नहीं हुई है लेकिन अन्य थानों के अच्छी कार्यवाही हुई है।

(घ) जनपद बागपत में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है।

गैंगस्टर ऐक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना छपरौली और बड़ौत को छोड़कर किसी अन्य थाने द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(ङ) जनपद मेरठ में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी थाना ब्रहमपुरी, सिविललाइन्स, हस्तिनापुर, इंचौली,जानी, मेडिकल कालेज, मवाना, नौचंदी, परीक्षितगढ़, परतापुर, सरधना, सरूरपुर, रोहटा, पल्लवपुररम् में कोई रूचि नहीं दिखायी जा रही है जो आपत्तिजनक है।

गैंगस्टर ऐक्ट के तहत थाना परतापुर द्वारा केवल कार्यवाही की गई हैं अन्य थानों द्वारा फीडिंग में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

(च) जनपद गाजियाबाद में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में थाना ट्रोनिका सिटी, लोनी बार्डर, सिहानी गेट की स्थिति अत्यन्त खराब है।

गैंगस्टर ऐक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना निवाड़ी को छोड़कर किसी अन्य थाने द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

(छ) जनपद गौतमबुद्धनगर में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना बिसरख, दनकौर, कासना, नोएडा सेक्टर-20, नोएडा सेक्टर 24, नोएडा सेक्टर-58, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, बादलपुर, इकोटेक-11 द्वारा फीडिंग में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

गैंगस्टर ऐक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना जेवर को छोड़कर किसी भी थाने द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है।

(ज) जनपद मुजफ्फरनगर में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना रामराज और तितावी द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

गैंगस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूरे जनपद में इसकी फीडिंग करने में कोई जागरूकता नहीं है।

(झ) जनपद सहारनपुर में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना बड़गाव, कोतवाली देहात द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

गैंगस्टर ऐक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना कोतवाली मंडी, मिर्जापुर, नांगल, देवबन्द द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

(ज) जनपद शामली में IIF-3 के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

गैंगस्टर ऐक्ट में थाना शामली, आदर्शमंडी एवं थाना भवन द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त के संदर्भ में अपेक्षा है कि आप अच्छे कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा खराब कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का मार्गदर्शन करायें एवं अपने स्तर से भी इसका सतत अनुश्रवण कर इस दिशा में व्यापक सुधार कराने का प्रयास करे जिससे सीएम डैश बोर्ड पर लखनऊ जोन की पुलिस कार्यवाही से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रदर्शन अच्छा रहे। सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों के सेवा अभिलेख में उत्तम प्रविष्टि (Good Entry) दी जाए।

Uaaa
17/10

(महेन्द्र मोदी)

पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र, उ0प्र0।
- 2.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, बुलन्दशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली।